दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:- 21 अगस्त, 2024

रि.या. (आप.) 2478/2024 व आप.वि.आ.24102/2024

मुकेश कुमार सेन .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मनेन्द्र मिश्रा, श्री धर्मेन्द्र बसोया, सुश्री माधवी यादव और सुश्री रूपाली सिन्हा, अधिवक्तागण। (मोबाइल नं.: 9818949469)
याचिकाकर्ता अपनी पत्नी और अपनी बहन/प्र.-5 की पत्नी के साथ व्यक्तिगत रूप से।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संजय लाओ, राज्य के स्थायी अधिवक्ता (आप.) के साथ सुश्री प्रियम अग्रवाल व श्री अभिनव कुमार आर्य, अधिवक्तागण।
निरीक्षक नरेंद्र सिंह, उप- निरीक्षक किरण, थाना के. एम. पुर और उप-निरी. आशीष, थाना मौरिस नगर।

प्रत्यर्थी सं. 5/ सतेंदर व्यक्तिगत रूप से लड़की के साथ ।
श्री लखिंद्र राहुल सिंह, आर्य समाज मंदिर के न्यासी, व्यक्तिगत रूप से।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह
माननीय न्यायमूर्ति अमित शर्मा

न्या. प्रतिभा एम. सिंह (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता श्री मुकेश कुमार सेन की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें उसकी बेटी को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की गई है।

3. इस मामले में कुछ विचित्र तथ्य हैं। याचिकाकर्ता की बेटी 1 जुलाई, 2024 से लापता बताई गई है। उसके बाद याचिकाकर्ता/लापता लड़की के पिता को पता चला कि उसकी बेटी ने अपने सगे अंकल *(फूफा/बुआ के पति)* - श्री सतेंद्र कुमार अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 5 से दिनांक 1 जुलाई, 2024 को विवाह कर लिया है। बताया जाता है कि विवाह समारोह आर्य समाज मंदिर खिड़की न्यास, टी-93 एच, पहली मंजिल, (हनुमान मंदिर) खिड़की गांव, प्रेस एन्क्लेव रोड, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017 में आयोजित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 2 अगस्त, 2024 को थानाध्यक्ष थाना कोटला, मुबारकपुर, आजमगढ़, यूपी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता की बहन श्रीमती के. अर्थात् याचिकाकर्ता की लापता लड़की/बेटी की बुआ ने भी दिनांक 20 जुलाई, 2024 को अपने पति अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 5 के विरुद्ध पुलिस को लिखित शिकायत दी थी।

5. याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रत्यर्थी सं. 5 ने माता-पिता को लड़की से मिलने से रोक दिया है। अतः, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता और उसकी बहन, अर्थात् लापता लड़की की बुआ पिछली तिथि(न्यायालय की) पर न्यायालय में उपस्थित थीं। बुआ अर्थात् श्रीमती के. का दो वर्ष का बेटा है।

6. याचिकाकर्ता ने विवाह से संबंधित विभिन्न दस्तावेज तथा 1 जुलाई 2024 का विवाह प्रमाण-पत्र भी दायर किया है, जो प्रत्यर्थी सं. 5 तथा याचिकाकर्ता की बेटी के बीच विवाह की पुष्टि करता है। इसे आर्य समाज मंदिर खिड़की न्यास, टी-93 एच, प्रथम तल, (हनुमान मंदिर) खिड़की गांव, प्रेस एन्क्लेव रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किया गया है। उक्त विवाह प्रमाण पत्र से पता चलता है कि प्रत्यर्थी सं. 5 ने स्वयं को "अविवाहित" घोषित किया है, जिसके आधार पर विवाह संपन्न हुआ प्रतीत होता है।

7. जिस रीति से लापता लड़की/याचिकाकर्ता बेटी के अपने अंकल (फूफा) ने याचिकाकर्ता की बेटी से शादी करने के लिए आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र में स्वयं को मिथ्या रूप से अविवाहित घोषित किया है, वह स्पष्ट रूप से विधि के प्रतिकूल है।

8. इसके अलावा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की बेटी की प्रत्यर्थी सं. 5 के साथ विवाह की रीति पर भी टिपण्णी की है। वर्तमान याचिका के साथ दायर की गई विवाह की तस्वीरों के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह करने वाले जोड़े के अलावा, एक पुजारी/पंडितजी को छोड़कर कोई भी विवाह समारोह में उपस्थित नहीं था। इस प्रकार के विवाह की वैधता और पवित्रता पूर्ण रूप से संदिग्ध है।

9. दिनांक 14 अगस्त, 2024 को याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य के स्थायी अधिवक्ता की सुनवाई के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए थे:

> *"9. ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की बेटी और प्रत्यर्थी सं. 5 को अगली सुनवाई की तिथि पर पेश किया जाए।*
> *10. आर्य समाज मंदिर खिड़की न्यास, टी-93 एच, प्रथम तल, (हनुमान मंदिर) खिड़की गांव, प्रेस एन्क्लेव रोड, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 का एक प्रतिनिधि इस कथित विवाह के सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ अगली सुनवाई की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हो।*

11. प्रत्यर्थी सं. 5 को संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाएं।"

10. मामला आज सूचीबद्ध किया गया है। लड़की और लड़का अर्थात् श्री सतेंद्र, पुत्र श्री प्रेम सिंह, जिसके साथ उसने कथित तौर पर विवाह समारोह संपन्न कराया था, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और उसकी बहन - श्रीमती के. भी उपस्थित हैं। आर्य समाज मंदिर खिड़की न्यास के न्यासी श्री लखींद्र राहुल सिंह भी उपस्थित हुए हैं।

11. जो तथ्य सामने आए हैं, वे यह हैं कि आर्य समाज मंदिर में विवाह, दोनों पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों सहित दस्तावेजों के आधार पर होता है। लड़की का बयान भी दर्ज किया जाता है। मंदिर द्वारा लड़के और लड़की के आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा दो साक्षियों को एकत्र किया गया। एक पंडित जी विवाह समारोह संपन्न कराते हैं और मंदिर कुछ शुल्क भी वसूलता है। श्री सिंह के अनुसार, हर माह कम से कम 25 विवाह होते हैं और जिस समय लग्न शुभ होता है, उस समय अधिक विवाह होते हैं। मंदिर का संचालन केवल वह और उसकी पत्नी श्रीमती ममता कुमारी द्वारा किया जाता है, जो इसके दो न्यासी हैं।

12. न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंदिर वैवाहिक स्थिति के विषय में पूछताछ नहीं करता है, श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि शपथपत्र लिए जाते हैं तथा आगे कोई सत्यापन नहीं किया जाता।

13. आज उपस्थित हुई लड़की ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता उसका असली पिता नहीं है और वह उसकी जन्म देने वाली(जैविक) मां का दूसरा पति है। वह लड़के अर्थात् श्री सतेंद्र को पिछले कुछ वर्षों से जानती है, जिसका विवाह याचिकाकर्ता की बहन से हुआ है। आर्य समाज मंदिर में विवाह होने के बाद वह और सतेंद्र अब साथ रह रहे हैं। वास्तव में, याचिकाकर्ता की बेटी सुश्री तारा कुमारी ने भी विवाह संबंधी दस्तावेजों में झूठा दावा किया है कि श्री सतेंद्र अविवाहित हैं। चूंकि, विवाह स्वयं झूठे शपथपत्रों के आधार पर किया गया है, इसलिए विधि की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है।

14. याचिकाकर्ता की बहन सुश्री 'के.' ने कहा कि श्री सतेंद्र से उसका एक छोटा बेटा भी है, जो ढाई वर्ष का है। उसका आरोप है कि उक्त विवाह के बाद उसे उसके दांपत्य निवास से निकाल दिया गया है और उसे उसके वैवाहिक घर में वापस लाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने विवाह की रीति पर आपत्ति जताई है और याचिकाकर्ता की बहन को वैवाहिक घर से निकाल दिया गया है।

15. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री सतेंद्र ने अपनी पत्नी/बच्चे को छोड़ दिया है और दावा किया है कि उसने एक लड़की से विवाह कर लिया है जो उसकी भतीजी/भांजी है। यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर्य समाज मंदिर द्वारा आयोजित कथित विवाह समारोह, प्रथम दृष्टया एक अमान्य विवाह है क्योंकि श्री सतेंद्र ने विवाह के लिए प्रस्तुत शपथपत्र में घोषित किया है कि

वह अविवाहित हैं, जबकि स्पष्ट रूप से उसकी पत्नी सुश्री के. जीवित हैं और उनका एक बेटा भी है।

16. जहाँ तक श्री सतेन्द्र का अपनी पत्नी सुश्री के. के साथ कोई विवाद है, तो वह विधि के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठा सकती हैं। श्री सतेन्द्र ने प्रस्तुत किया है कि वह सुश्री के. से तलाक लेना चाहता है। उक्त उद्देश्य के लिए भी उसे विधि के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाना होगा।

17. पत्नी सुश्री के. ने भी पति के विरुद्ध सीएडब्ल्यू(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उक्त शिकायत पर आगे कार्यवाही की जा सकती है और विधि के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। भरणपोषण, निवास और घरेलू हिंसा के लिए सुश्री के. के विधिक उपाय भी खुले हैं।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो श्री सतेंद्र और न ही सुश्री तारा कुमारी किसी भी प्रकार से सुश्री के. का उत्पीड़न करेंगे।

19. लड़की को आज पेश किया गया है। याचिकाकर्ता ने लड़की से मुलाकात की है, जो उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। चूंकि लड़की वयस्क है, इसलिए आगे कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

20. श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज संबंधित अन्वेषक अधिकारी को सौंप दिए गए हैं, जो विधि के अनुसार अन्वेषण कर आगे की

कार्रवाई कर सकता है। उक्त दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी रिकॉर्ड में रखी गई है।

21. आर्य समाज मंदिर अब से यह सुनिश्चित करेगा कि जब विवाह के लिए साक्षी आदि पेश किए जाएं, तो वे असली और वास्तविक साक्षी हों, जिनकी स्थिति को ठीक से सत्यापित किया जा सके। मंदिर दोनों पक्षकारगण अर्थात् दूल्हा और दुल्हन की ओर से कम से कम एक साक्षी को बुलाने का प्रयास करेगा जो संबंधी हो और अगर कोई संबंधी नहीं है, तो किसी ऐसे परिचित को साक्षी बनने की अनुमति दी जाएगी जो संबंधित पक्षकारगण को उचित अवधि से जानता हो। वर्तमान आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. को आवश्यक जानकारी हेतु और इस संबंध में उचित उपाय करने के लिए भेजी जाए।

22. उपरोक्त निर्देश के साथ, याचिका का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाएगा।

प्रतिभा एम. सिंह
न्यायाधीश

अमित शर्मा
न्यायाधीश

21 अगस्त, 2024

बीएसआर/एएम/बीएच/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*